संख्या-165/2024/3099/24-002-27-24बजट-19-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-4609/03-90/569 असफल रा.नल.पुन.र्नि.परि./नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 08.11.2024 एवं पत्रांक-जी-836/03-90/569 असफल रा.नल.पुन.र्नि.परि./नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 02.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 1,72,37,30,000/- के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0322-24 ''569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण" में प्राविधानित धनराशि रू0 7000.00 लाख में से छठी किश्त के रूप में धनराशि रू० 37,17,23,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-10/2023/1830/001-24बजट-19-27-10, दिनांक 14.02.2023 में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 तथा वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17-05-2023 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,17,23,000 (रुपये सैंतीस करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4702001020322 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-165/2024/3099(1)/24-002-27-24बजट-19-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, द्वारा प्रमुख अभियन्ता(यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।